(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/17/2472 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-7-2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद , प्रकरण क्रमांक 38/3 ए 27/13-14

———

1-जुगलकिशोर आत्मज कलीराम मेहरा
2-नरेन्द्र हनोतिया आत्मज कलीराम हनोतिया
3-राजकुमार हनोतिया आत्मज कलीराम हनोतिया
4-कैलाश हनोतिया आत्मज कलीराम हनोतिया
5-बाबूलाल हनोतिया आत्मज कलीराम हनोतिया
6-अशोक हनोतिया आत्मज कलीराम हनोतिया
7-श्रीमती सकुनबाई पुत्री कलीराम हनोतिया
8-श्रीमती कुसुमबाई पुत्री कलीराम हनोतिया
सभी निवासी ग्राम धरमकुन्डी तहसील सिवनीमालवा
जिला होशंगाबाद
हाल मुकाम रामनगर कालोनी फेस-2 रसूलिया रोड
होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-श्रीमती रेखा हनोतिया पुत्री स्व0भुजबलसिंह कास्तकार
निवासी ग्राम धरमकुन्डी तहसील सिवनीमालवा
जिला होशंगाबाद
2-रमेश कुमार आत्मज प्रहलादसिंह हनोतिया
निवासी आर्य नगर वार्ड नम्बर 14 सूरजगंज
इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
3-सुरेश कुमार आत्मज फूलचन्द हनोतिया
निवासी मंगलमूर्ति सोसायटी डी/4 सेक्टर मणीनगर के पास
अहमदाबाद तहसील व जिला अहमदाबाद गुजरात

4-सतीश हनोतिया आत्मज गनपत हनोतिया
निवासी गांधीनगर राज टॉकीज के पीछे इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

.....अनावेदकगण

श्री सुनील चौकसे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शैलेन्द्र सिन्हा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-7-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र ग्राम धरमकुन्डी स्थित भूमि खसरा नम्बर 384 रकबा 0.56 एकड़, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.70 एकड खसरा नम्बर 434 रकबा 4.28 एकड खसरा नम्बर 436 रकबा 2.42 एकड खसरा नम्बर 441 रकबा 0.060 एकड खसरा नम्बर 442 रकबा 0.080 एकड खसरा नम्बर 450 रकबा 3.50 एकड कुल रकबा 5.203 हेक्टेयर अर्थात 12.86 एकड कृषि भूमि का बटवारा हेतु प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 9-8-2011 को आदेश पारित कर बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालयके आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील समय बाह्य अनुविभागीयअधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक

19-7-2017 को पारित कर विलम्ब क्षमा किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की ओर से अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है जो विधि विपरीत है क्योंकि धारा 5 के संबंध में बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय मृतिका श्रीमती सुखियाबाई की मृत्यु हो जाने के कारण उसका नाम अपील मेमों से निष्कासित किये बिना तथा मृतिका के वारिसान को अपील प्रकरण के अभिलेख पर अंकित किये बिना ही विवादास्पद आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण अनावेदक के आवेदन में नहीं होने के बाद भी विलम्ब क्षमा किया गया है जो त्रुटि पूर्ण है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया गया है प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण गुणदोष पर होना है जहॉ आवेदकपक्ष को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक को नोटिस नहीं दिया गया है । अत: अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा अनावेदक की अपील को समयसीमा में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण अभी अंतिम निराकरण होना है, जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । इस संबंध में 1991 आर.एन.127 (उच्च न्यायालय) 127 लज्जाराम शर्मा विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित्त किया गया है:-

> "धारा 5-आदेश पक्षकार की अनुपस्थिति में पारित किया गया-अपील समय वर्जित-शपथ-पत्र द्वारा समर्थित विलंब की माफी हेतु आवेदन-आवेदन में कथित तथ्य अखण्डित रहने और सही पाए जाने जाने की दशा में-विलंब माफ किया जाना चाहिए ।"

अत: उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-7-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर